(509/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 1118 /28/76/एक/2018–19 दिनांक :26 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**फिरोजाबाद।**

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	30304503371	IFSC Code SBIN0004052	233.279

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	एन0एच0–2 से सर्विस रोड पर एस0टी0 जोन्स स्कूल से पवित्र मैरिज होम तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	12.918	100%
2	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 22 में बर्फ फैक्ट्री में पण्डित अजय शर्मा से अशोक एडवाकेट होते हुए रविकान्त के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	5.276	100%
3	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 06 न्यू शिवनगर में खाँ साहब के प्लाट से भूपेश कुमार एवं रामबाबू एंव जीमल खाँ वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	13.319	100%
4	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 12 महावीर पुलिया से शिवमन्दिर तक एवं महिपाल के मकान से मकेश श्रीवास्तव के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	19.547	100%
5	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 24 बलदेव रोड पर पेच एवं मनोज गुप्ता के मकान से हरीश के मकान एवं लिंक गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	5.721	100%
6	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0	वार्ड नं0 22 में अमित राजौरिया के मकान से	19.609	100%

(509/2)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7 / 23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
			टुण्डला	प्रमोद कुमार के मकान तक एवं चन्द्र प्रकाश से मटरे लाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।		
7	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 22 में संगम विहार रोड पर रामलखन के मकान से मन्दिर तक व राजकुमार से वी0पी0 सिंह व भूपेन्द्र सिंह वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17.403	100%
8	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 18 इन्द्रा कॉलोनी में प्रेमचन्द्र कि मकान से के0 एस0 कुलश्रेष्ठ के मकान होते हुए मन्दिर तक एवं अशोक शर्मा के मकान के मुकेश कुमार के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	18.532	100%
9	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 09 लक्ष्मीनगर में दिलीप पड़ाके वाले के मकान से संदीप सिसौदिया के मकान तक एवं सन्तोष कुमार के मकान से राधे–राधे के मकान तक इण्टरलॉकिंग सडक निर्माण कार्य।	20.783	100%
10	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 04 काईस द किंग रोड पर राकेश ड्राइवर के मकान से नवलेश कुमार के मकान तक एवं आलोक यादव के मकान से विक्रम सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिग का कार्य।	18.310	100%
11	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 17 सरास्वत एन्कलेव में राम्मी सुनार से राजवीर उपाध्याय, कमलेश कुमार से राजवीर उपाध्याय, नवीन कुमार से प्रदीप उपाध्याय एवं दिलीप सारस्वत से पचौरी इलेक्ट्रानिक्स तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	18.541	100%
12	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 17 सरास्वत एन्कलेव में जगदीश प्रसाद बघेल से इन्द्रीश, योगेश शर्मा से तरून शर्मा व संदीप व विजेन्द्र गुप्ता वाली गली में इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	15.846	100%
13	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 24 राजबहादुर के मकान से अतान शर्मा के मकान तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	16.299	100%
14	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	वार्ड नं0 24 में सुनील कुमार के मकान से	11.353	100%

(509/3)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				रामसनेही के मकान तक, एवं मुन्ना लाल के मकान से संतोष कुमार के मकान होते हुए अनिल जैन तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।		
15	फिरोजाबाद	म0ब0–83	न0पा0प0 टुण्डला	एन0एच0–2 से सर्विस रोड पर एस0टी0 जोन्स स्कूल से पवित्र मैरिज होम तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	19.822	100%
	योग				233.279	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद

509/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक